भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 611

(दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपराध

611. श्री खलीलुर रहमानः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत कुछ वर्षों में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपराधिक घटनाएं कई गुना बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों में घृणा और फेक न्यूज फैलाने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) इस संबंध में दोषसिद्धि दर का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं (दिनांक 25 फरवरी, 2021)।

इन नियमों का भाग- III अन्य बातों के साथ-साथ समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता का प्रावधान करता है। इसमें केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत निर्धारित पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन करना शामिल है।

आईटी नियमों के अंतर्गत आचार संहिता के पालन हेतु एक तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है।

कार्यक्रम संहिता और पत्रकारिता के आचरण के मानकों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रकाशकों के लिए आवश्यक है कि वे ऐसी कोई सामग्री प्रसारित नहीं करें जो गलत, भ्रामक, मिथ्य या अर्द्ध सत्य हो।

इसके साथ ही, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित, आईटी नियमों का भाग- II अन्य बातों के साथ-साथ यू-ट्यूब, फेसबुक जैसे मध्यस्थों पर यह दायित्व डालता है कि वे ऐसी सूचना के प्रसार को रोकें जो स्पष्ट रूप से मिथ्य, असत्य या भ्रामक प्रकृति की हो।

घृणा और फर्जी खबरें फैलाने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या से संबंधित डाटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वेबसाइट https://www.ncrb.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है।

******